न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :–353/23 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2023/378)

1. मुर्तजा पुत्र मोहम्मद खां
2. श्रीमती जाहिदा पत्नी शब्बीर खां
3. साबिर पुत्र हफीज खान

जातियान मुसलमान निवासी ग्राम सूरवाल तहसील व जिला सवाई माधोपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती नूरन पुत्री रहमदीन
2. मोहम्मद हनीफ पुत्र रहमदीन
3. मकसूद पुत्र हनीफ
4. इसाक पुत्र नसरू
5. मो. अली पुत्र महबूब उर्फ अय्यूब

जातियान मुसलमान निवासी सूरवाल तहसील व जिला सवाई माधोपुर

6. ग्राम पंचायत सूरवाल, जरिये सरपंच
7. तहसीलदार, तहसील सवाई माधोपुर

.....रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 23.03.2017 मुकदमा नंबर 13/13 न्यायालय उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर बउनवानी श्रीमती बिस्मिल बनाम हनीफ वगैराह

उपस्थितिः–

1. श्री श्याम मोहन शर्मा वकील अपीलान्ट।

निर्णय

दिनांकः– 28.12.2023

उक्त द्वितीय अपील एल.आर.एक्ट की धारा 76 के अन्तर्गत उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 23.03.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि रैस्पोडेन्ट की ओर से उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में ग्राम पंचायत सूरवाल द्वारा स्वीकृत किये गये नामान्तकरण संख्या 1758 दिनांक 22.12.1982 के विरूद्ध एल.आर.एक्ट की धारा 75 के तहत प्रथम अपील पेश की गई थी। जिसमें उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने कार्यवाही करते हुए निर्णय दिनांक 23.03.2017 के द्वारा रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 1758 दिनांक 22.12.1982 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार सवाई माधोपुर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश दिया है कि रहमदीन पुत्र भूरा कौम मुसलमान निवासी सूरवाल के विधिक वारिसान की सम्पूर्ण जॉच कर नियमानुसार नामान्तकरण दर्ज किया जावे। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्टस की ओर से अदालत हाजा में अपील पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली तलब की गई। अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली प्राप्त होने पर अपील में बहस सुनी गई। वक्त बहस रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं। वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.03.2017

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

विधिविरूद्ध एवं तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। अदालत मातहत ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि रैस्पोडेन्ट की ओर से 31 वर्ष बाद अपीलाधीन नामान्तकरण के विरूद्ध अपील पेश की गई थी। जिसे मात्र दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में वर्णित कारणों से सहमत होना मानकर स्वीकार कर लिया गया। जबकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने कई नजीरों में इस तरह के सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं कि मियाद बाहर प्रस्तुत की गई अपील में विलम्ब के प्रत्येक दिन के कारण को स्पष्ट किया जाना आवश्यक है, परन्तु उपरोक्त तथ्य पर अदालत मातहत द्वारा कोई गौर नहीं किया गया। विवादित भूमि के संबंध में राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के न्यायालय में दो अपीलें विचाराधीन हैं। उक्त प्रकरण में दिनांक 19.01.2017 को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की ओर से पत्रावली राजस्व अपील प्राधिकारी को सुनवाई हेतु प्रेषित की गई है। विवाद खाता संख्या 3453 व 54 ग्राम सूरवाल से संबंधित है। जिसके संबंध में सभी पक्षकारों को पक्षकार बनाए बिना अदालत मातहत में अपील पेश की गई। जिसे अदालत मातहत ने भी नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जबकि माननीय राजस्व मण्डल की ओर से कई नजीरों में इस तरह के सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं कि जहां पक्षकारो के मध्य सक्षम न्यायालयों में वाद विचाराधीन हो वहां वाद में साक्ष्य के बाद तनकियात के मुताबिक निर्णय पारित करना चाहिए तथा नामान्तकरण की कार्यवाही को ताफैसला निर्णय वाद पत्र स्थगित किया जाना चाहिए, क्योंकि नामान्तकरण एक वित्तिय संक्षिप्त कार्यवाही है। जिसके द्वारा अधिकारों का विनिश्चय नही हो सकता है। वरन् अधिकारों का विनिश्चय दावे में ही किया जा सकता है। अदालत मातहत ने उपरोक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर के मुकदमा नंबर 3346 कैम्प सूरवाल निर्णय दिनांक 17.05.86 की पालना में उक्त नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। जिसको लेकर विभिन्न न्यायालयों में कार्यवाही आदिनांक तक लम्बित है। इशाक पुत्र नसरूदीन द्वारा साविक खसरा नंबर 1139 रकबा 2 बीघा से बने हाल खसरा नंबर 1487 रकबा 50 एयर में से सैटलमेन्ट के बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग को 27 एयर भूमि बाई पास हेतु दी जा चुकी है तथा उक्त भूमि में से 18 एयर भूमि अपीलान्ट संख्या 1 मुर्तजा द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर बतौर खातेदार दर्ज हो चुकी है। इसी अनुरूप 1 एयर भूमि जाहिदा के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की जा चुकी है तथा खातेदारी में दर्ज हो चुकी है। इसके अलावा 3 एयर भूमि जैतून पत्नि साबिर को विक्रय कर दी गई, जो जैतून की मृत्यु के बाद साबिर के नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। 1 एयर भूमि इशाक के नाम दर्ज है। अदालत मातहत में खातेदारों को पक्षकार बनाए बिना अपील पेश की गई थी, जो कि प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य थी, परन्तु अदालत मातहत ने जल्दबाजी में एकपक्षीय बहस सुनकर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अपीलान्ट मौके पर आज भी काबिज है। उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर ने सहमति के आधार पर बटवारा किया था। इसके बाद अपीलाधीन नामान्तकरण बाद जांच खोला गया था। रैस्पोडेन्टस का मौके पर कोई कब्जाकाश्त नही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है कि 2005 के पूर्व के जितने भी नामान्तकरण या तकासमा दावों में पुत्रियों का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है तथा सहमति द्वारा प्राप्त निर्णय की कोई अपील लाई नहीं करती है। इसको भी अदालत मातहत द्वारा नजरअंदाज किया

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

गया है, क्योंकि अपीलान्टस अदालत मातहत में पक्षकार नहीं थे। इसलिए अपीलाधीन निर्णय की जानकारी पूर्व में नहीं थी। दिनांक 25.09.2017 को रैस्पोडेन्ट द्वारा गांव में यह कहे जाने पर की उपखण्ड अधिकारी द्वारा उसके पक्ष में निर्णय हो गया है। अपीलाधीन निर्णय के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। इस पर दिनांक 27.09.2017 को नकल हेतु आवेदन पत्र पेश किया तथा दिनांक 29.09.2017 को नकल प्राप्त होने पर जानकारी की तिथि से अदालत हाजा में अन्दर मियाद अपील पेश की गई है। फिर भी अपील को पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र मीमो आफ अपील के साथ पेश किया है। जिसका कोई जवाब या काउन्टर शपथ पत्र रैस्पोडेन्ट की ओर से पेश नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार करते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.03.2017 निरस्त किया जावे तथा नामान्तकरण संख्या 1758 दिनांक 22.12.1982 को बहाल किये जाने का आदेश दिया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त प्रकरण में अपीलान्ट के द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.03.2017 के विरूद्ध अदालत हाजा में दिनांक 09.11.2017 को अपील पेश की गई है, जो कि मियाद बाहर पेश किये जाने के कारण अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। अपीलान्टस की ओर से अपील को पेश करने में हुए विलम्ब के संबंध में मीमो आफ अपील के साथ दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया गया है। जिसमें अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 25.09.2017 को रैस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा गांव में कहे जाने पर होने व जानकारी होने के बाद दिनांक 27.09.2017 को नकल हेतु आवेदन करने व दिनांक 29.09.2017 को नकल प्राप्त होने के बाद अन्दर मियाद अपील पेश किये जाने का उल्लेख किया गया है तथा अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने का अनुरोध किया है। अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र का रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया और न ही कोई काउन्टर शपथ पत्र ही पेश किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्टस को अपीलाधीन आवंटन आदेश की जानकारी प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक के पूर्व से रही हो। वैसे भी माननीय राजस्व मण्डल व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कई नजीरों में इस तरह के सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं कि अपीलीय न्यायालय को मियाद संबंधी बिन्दु पर उदार रूख रखना चाहिए तथा तकनीकी बिन्दु पर अपील को खारिज करने से बचना चाहिए। उक्त प्रकरण में अपीलान्टस की ओर से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया गया है व इसके विपरित कोई दस्तावेज हमारे समक्ष उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत नहीं हुए हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण का प्रश्न है तो अपीलान्टस की ओर से अपीलाधीन निर्णय के संबंध में प्रथम आपत्ति यह की गई है कि उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा मियाद बाहर प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने में कानूनी भूल की है। इस संबंध में अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रैस्पोडेन्ट की ओर से अदालत मातहत में प्रस्तुत की गई अपील के साथ दफा 5

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसका अपीलान्ट की ओर से कोई जवाब या काउन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में विद्वान उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.03.2017 में रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में अंकित कारणों से सहमत होते हुए रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का आदेश दिया है। जिसमें कोई अनियमितता नजर नहीं आती है। वैसे भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा इस तरह का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा मियाद के बिन्दु पर लिये गये निर्णय में बिना किसी उचित व पर्याप्त कारण के हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपीलान्टस की उक्त आपत्ति सारहीन होने के कारण मानने योग्य नहीं है। रैस्पोडेन्टस की ओर से अदालत मातहत में प्रस्तुत अपील में मृतक खातेदार का सजरा पेश करते हुए यह उल्लेख किया कि ग्राम पंचायत द्वारा मृतक खातेदार के वारिसान की विधिवत जांच किये बिना अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया है। जिसके संबंध में विद्वान उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर ने यह माना है कि ग्राम पंचायत द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1758 दिनांक 22.12.1982 को खातेदार रहमदीन के विधिक वारिसान की सम्पूर्ण जॉच किये बिना फैसल किया गया है। इस नामान्तकरण को खारिज करते हुए प्रकरण तहसीलदार सवाई माधोपुर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि रहमदीन पुत्र भूरा कौम मुसलमान निवासी सूरवाल के विधिक वारिसान की सम्पूर्ण जॉच की जाकर नामान्तकरण नियमानुसार दर्ज किया जावे। इस निर्णय में किसी तरह की कोई अवैधानिकता या अनियमितता नजर नहीं आती है, क्योंकि उक्त निर्णय के द्वारा उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा न तो किसी व्यक्ति के हक–हकूक या स्वामित्व तय किया गया है और न ही किसी को खातेदारी दी गई है। वरन् मृतक खातेदार की विधिक वारिसान की सम्पूर्ण जांच कर नामान्तकरण नियमानुसार दर्ज किये जाने का आदेश दिया है। वकील अपीलान्ट का यह तर्क कि खातेदारान द्वारा विवादित भूमि को अपीलान्टस को विकय कर दिये जाने के कारण उन्हें खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गए हैं तथा विवादित भूमि के संबंध में विभिन्न न्यायालयों में वाद विचाराधीन हैं तो इस संबंध में अपीलान्टस तहसीलदार सवाई माधोपुर के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु स्वतंत्र हैं। अपीलाधीन निर्णय के संबंध में तहसील कार्यालय में लम्बित प्रकरण में पक्षकार बन कर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.03.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 28.12.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28.12.2023

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर